न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 106/2018/राजस्व वाद

उनवान

1. रमेशचन्द पि. शिवलाल जाति मेघवाल नि. सिलेगढ तहसील पचपहाड
2. बजरंगलाल पि. शिवलाल जाति मेघवाल नि. सिलेगढ तहसील पचपहाड

– वादीगण

बनाम

1. नारायण पि. धन्नालाल जाति मेघवाल नि. नोलाई तहसील पिडावा

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री पूरीलाल राठौर

वकील प्रतिवादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

निर्णय दिनांक : 08/04/2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 105 आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 188, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की शामलाती खातेदारी, कब्जे एवं काश्त की है जिसमें संतरे का बगीचा लगा हुआ है। प्रतिवादी का वादीगण की आराजी में किसी प्रकार से संबंध नहीं हाने पर भी वह वादीगण की आराजी में अवैधानिक प्रवेश करके उसमें स्थित संतरे के बगीचे को काटकर जबरन अवैधानिक कब्जा करना चाहता है। यदि प्रतिवादी अपनी योजना में सफल हो गया तो वादीगण के वैधानिक अधिकारो को अपरिमित क्षति होगी जिसके लिये द्रव्य में यथायोग्य आंकलन नहीं किया जा सकेगा इस कारण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 08.10.2018 को प्रतिवादी द्वारा अवैधानिक प्रवेश कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने से उत्पन्न हुआ। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 105 आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी व्यादेश जारी कर पाबंन्द फरमाया जावे वह उक्त आराजी में किसी भी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

Signature Not Verified
COURT 2021
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.12 17:57:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रकारेण विघ्न नहीं करें। वाद पत्र के साथ ग्राम खजूरी की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 105 की नकल संलग्न की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब करने प्रतिवादी की ओर से वकील श्री नीलकमल त्रिवेदी ने वकालातनामा पेश कर वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर जवाब पेश किया एवं विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि प्रतिवादी की ग्राम नोलाई की आराजी ख.नं. 478 रकबा 2 बीघा भूमि पर वादीगण एवं उनके पिता शिवलाल ने कब्जा कर रखा था जिसे हटाने का आदेश न्यायालय तहसीलदार पिडावा द्वारा किया जिसकी पालना पटवारी हल्का द्वारा की गई उसकी द्वेशता से वादीगण ने यह वाद पेश किया है। प्रतिवादी ने कभी वादीगण की आराजी पर कब्जा नहीं किया अतः वाद खारीज किये जाने योग्य है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वादपत्र, जवाब दावा एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 105 आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण की शामलाती खातेदारी , कब्जे एवं काश्त की है जिसमें प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

आदेश

प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 105 आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीगण के खातेदारी की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं करें।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।
निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.12 17:57:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 106 / 2018 / राजस्व वाद

उनवान

1. रमेशचन्द पि. शिवलाल जाति मेघवाल नि. सिलेगढ तहसील पचपहाड
2 बजरंगलाल पि. शिवलाल जाति मेघवाल नि. सिलेगढ तहसील पचपहाड

– वादीगण

बनाम

1 नारायण पि. धन्नालाल जाति मेघवाल नि. नोलाई तहसील पिडावा

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री पूरीलाल राठौर

वकील प्रतिवादी – श्री नीलकमल त्रिवेदी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुदृदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की ग्राम खजूरी तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 105 आराजी किता 2 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह वादीगण के खातेदारी की वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं करें।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/04/2021 को जारी की गई।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.04.12 17:57:35 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2021

Scanned by TapScanner